अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

Sri Vijaya Puram, dated 02nd November, 2026.

NOTIFICATION

No.....F.No.34-725/2026-Rev., WHEREAS a preliminary notification under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as "the said Act") was issued vide Notification No. 88/2025/F. No. 34-725/2021-Rev. dated the 6th November, 2025, published in the Andaman and Nicobar Gazette, Extraordinary, No. 93 dated the 6th November, 2025, for the acquisition of 834.6437 hectares of land in Gandhi Nagar and Shastri Nagar villages, Campbell Bay Tehsil, Nicobar District, for the public purpose of the Greenfield International Airport Project, Great Nicobar Island (hereinafter referred to as "the said preliminary notification");

AND WHEREAS sub-section (7) of section 19 of the said Act provides that where no declaration under sub-section (1) of that section is made within twelve months from the date of the preliminary notification, such notification shall be deemed to have been rescinded, and in respect of the said preliminary notification the said period of twelve months expires on the 5th November, 2026;

AND WHEREAS the Administrator for Rehabilitation and Resettlement has submitted his report under sub-section (6) of section 16 of the said Act on the 25th June, 2026, but the following steps, which are required before a declaration under sub-section (1) of section 19 can be published, are yet to be completed:

a. review of the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Project-level Rehabilitation and Resettlement Committee under sub-section (1) of section 17;
b. approval of the Scheme by the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement under sub-section (2) of section 17;
c. publication of the approved Scheme under section 18; and
d. deposit of the prescribed amount by the Requiring Body under sub-section (2) of section 19;

AND WHEREAS the Appropriate Government is of the opinion that circumstances exist justifying the extension of the said period, namely:

i. the acquisition relates to a strategically significant public infrastructure project, and the public purpose stated in the said preliminary notification continues to subsist;
ii. the statutory Rehabilitation and Resettlement process is substantially advanced, but the mandatory review, approval and publication steps under sections 17 and 18 are required to be completed before a legally sustainable declaration under sub-section (1) of section 19 can be made;

iii. the costs and implementation requirements of the Rehabilitation and Resettlement Scheme, including housing and the infrastructural amenities under the Third Schedule, require finalisation, to be followed by the deposit by the Requiring Body under sub-section (2) of section 19; and

iv. a lapse of the said preliminary notification would render the statutory work already completed infructuous and require the acquisition process to be commenced afresh, whereas an extension would enable the remaining mandatory steps to be completed without curtailing any safeguard available to the affected families under the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (7) of section 19 of the said Act, read with the Ministry of Home Affairs Notification No. 1997(E) dated 23.06.2017 the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, is pleased to extend the period of twelve months specified in sub-section (7) of section 19 of the said Act, for the making of the declaration under sub-section (1) of section 19 in respect of the said preliminary notification, by a further period of twelve months, that is, from the 6th November, 2026 up to and including the 5th November, 2027.

1. In compliance with the third proviso to sub-section (7) of section 19 of the said Act, this decision has been recorded in writing in File No. 34-725/2021-Rev., is hereby notified, and shall be uploaded on the website of the Andaman and Nicobar Administration and of the District Administration, Nicobar.
2. Nothing in this notification shall be deemed to alter the extent, description, boundaries or public purpose of the land, or any other particular, stated in the said preliminary notification.
3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Andaman & Nicobar Islands

Kaumudi
02/11/26

Assistant Secretary (Revenue)
Andaman & Nicobar Administration

Copy to:

1. The Deputy Commissioner (Nicobar), Nicobar District, Car Nicobar.
2. The Collector, Land Acquisition, Nicobar District, Car Nicobar.
3. The Sub Divisional Magistrate (SDM), Nicobar District, Car Nicobar.
4. The Assistant Commissioner, Campbell Bay.
5. The Deputy Secretary (Law), A & N Administration.
6. The Tehsildar, Campbell Bay.
7. The Manager, Govt. Press, Sri Vijaya Puram with the request to publish the notification in an extra Gazette.
8. The Chief Editor, Daily Telegrams, Sri Vijaya Puram with the request to publish the above said Notification in the Daily Telegrams and Dweep Samachar for two consecutive days.
9. The OSD (IT), Directorate of IT, DBRAIT Campus, Dolly Gunj, SVP with the request to hoist the Notification in the Official Website.
10. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Campus, Dolly Gunj, SVP with the request to hoist the Notification in the official website.
11. The Assistant Manager (IT), EDP Cell, Secretariat with the request to hoist the Notification in the official website.
12. Sr. PS to Lieutenant Governor, Raj Niwas, Sri Vijaya Puram.
13. Sr. Ps to Chief Secretary, A & N Administration, Sri Vijaya Puram
14. PS to Commissioner-cum-Secretary (Rev.), A & N Administration.
15. PA to Secretary (Rev.), A & N Administration.

02/11/26

Assistant Secretary (Rev.)
A&N Administration

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

श्री विजयपुरम, दिनांक 02nd नवंबर, 2026.

अधिसूचना

संख्या.....फा. सं. 34-725/2026-राजस्व, चूँकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुन:स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 06.11.2025 की अधिसूचना सं. 88/2025/फा. सं. 34-725/2021-राजस्व के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी, जो दिनांक 06.11.2025 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र, असाधारण, सं. 93 में प्रकाशित हुई थी। उक्त अधिसूचना निकोबार जिला के कैम्पबेल बे तहसील के गांधी नगर एवं शास्त्री नगर गाँवों में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए 834.6437 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु जारी की गई थी (जिसे इसके पश्चात् "उक्त प्रारंभिक अधिसूचना" कहा गया है);

और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) में यह प्रावधान है कि यदि प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से बारह माह के भीतर उक्त धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो ऐसी अधिसूचना को निरस्त माना जाएगा तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में बारह माह की उक्त अवधि 5 नवंबर, 2026 को समाप्त हो रही है।

और चूँकि पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2026 को प्रस्तुत कर दी है, तथापि, धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत घोषणा प्रकाशित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अपेक्षित कार्यवाहियाँ अभी पूरी की जानी शेष हैं;

(क) धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत परियोजना-स्तरीय पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन समिति द्वारा पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन स्कीम के प्रारूप की समीक्षा;

(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन आयुक्त द्वारा स्कीम का अनुमोदन;

(ग) धारा 18 के अंतर्गत अनुमोदित योजना का प्रकाशन; एवं

(घ) धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित निकाय द्वारा निर्धारित राशि जमा किया जाना;

और चूँकि समुचित सरकार का यह मत है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो उक्त अवधि के विस्तार को न्यायोचित ठहराती हैं, अर्थात्:

i. भूमि अधिग्रहण एक सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना है तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन अभी भी विद्यमान है;
ii. सांविधिक पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है, परन्तु धारा 17 और 18 के अंतर्गत अनिवार्य समीक्षा, अनुमोदन एवं प्रकाशन संबंधी कार्यवाहियाँ पूरी की जानी आवश्यक हैं, ताकि धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत विधिक रूप से मान्य घोषणा की जा सके;
iii. पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन स्कीम की लागत एवं कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं, जिनमें तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आवास एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सहित, को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है, जिसके पश्चात् अपेक्षित निकाय द्वारा धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत राशि जमा की जानी है; तथा
iv. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के व्यपगत होने से अब तक पूरी की गई सांविधिक कार्यवाही निष्फल हो जाएगी तथा भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करनी पड़ेगी, जबकि अवधि के विस्तार से प्रभावित परिवारों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी सुरक्षा उपाय को सीमित किए बिना शेष अनिवार्य कार्यवाहियाँ पूरी की जा सकेंगी;

अतः अब, गृह मंत्रालय के दिनांक 23.06.2017 की अधिसूचना सं. 1997(E) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्द्वारा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत घोषणा किए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट बारह माह की अवधि को और बारह माह के लिए, अर्थात् 6 नवंबर, 2026 से 5 नवंबर, 2027 तक (दोनों तिथियों सहित), बढ़ाते हैं।

1. उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के तृतीय परंतुक के अनुपालन में फाइल सं. 34-725/2021-राजस्व में लिखित रूप में अभिलिखित इस निर्णय को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और निकोबार जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात, उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि के विस्तार, विवरण, सीमाओं अथवा सार्वजनिक प्रयोजन या उसमें उल्लिखित किसी अन्य विशिष्ट विवरण में परिवर्तन करने वाला नहीं माना जाएगा।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

श्री. पांडवी
07/11/26
सहायक सचिव (राजस्व)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282, श्री विजयपुरम, सोमवार, 02 नवम्बर, 2026
No. 282, Sri Vijaya Puram, Monday, November 02, 2026

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजयपुरम, दिनांक 2 नवम्बर 2026 ।

संख्या 280/ 2026/ फा. सं. 34-725/2026/ राजस्व.—, चूँकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुन:स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उप - धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 06.11.2025 की अधिसूचना सं. 88/2025/फा. सं. 34-725/2021-राजस्व के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी, जो दिनांक 06.11.2025 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र, असाधारण, सं. 93 में प्रकाशित हुई थी। उक्त अधिसूचना निकोबार जिला के कैम्पबेल बे तह्सील के गांधी नगर एवं शास्त्री नगर गाँवों में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए 834.6437 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु जारी की गई थी (जिसे इसके पश्चात् "उक्त प्रारंभिक अधिसूचना" कहा गया है);

और, चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) में यह प्रावधान है कि यदि प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से बारह माह के भीतर उक्त धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो ऐसी अधिसूचना को निरस्त माना जाएगा तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में बारह माह की उक्त अवधि 5 नवंबर, 2026 को समाप्त हो रही है।

और, चूँकि, पुनर्वासन एवं पुन: स्थापन प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2026 को प्रस्तुत कर दी है, तथापि, धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत घोषणा प्रकाशित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अपेक्षित कार्यवाहियाँ अभी पूरी की जानी शेष हैं;

(क) धारा 17 की उप-धारा (1) के अंतर्गत परियोजना-स्तरीय पुनर्वासन एवं पुन: स्थापन समिति द्वारा पुनर्वासन एवं पुन: स्थापन स्कीम के प्रारूप की समीक्षा ;

(ख) धारा 17 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुन: स्थापन आयुक्त द्वारा स्कीम का अनुमोदन ;

(ग) धारा 18 के अंतर्गत अनुमोदित योजना का प्रकाशन; एवं

(घ) धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित निकाय द्वारा निर्धारित राशि जमा किया जाना ;

और, चूँकि, समुचित सरकार का यह मत है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो उक्त अवधि के विस्तार को न्यायोचित ठहराती हैं, अर्थात् :

i. भूमि अधिग्रहण एक सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना है तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन अभी भी विद्यमान है ;
ii. सांविधिक पुनर्वासन एवं पुन:स्थापन प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है, परन्तु धारा 17 और 18 के अंतर्गत अनिवार्य समीक्षा, अनुमोदन एवं प्रकाशन संबंधी कार्यवाहियाँ पूरी की जानी आवश्यक हैं, ताकि धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विधिक रूप से मान्य घोषणा की जा सके ;
iii. पुनर्वासन एवं पुन: स्थापन स्कीम की लागत एवं कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं, जिनमें तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आवास एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सहित, को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है, जिसके पश्चात् अपेक्षित निकाय द्वारा धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राशि जमा की जानी है; तथा
iv. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के व्यपगत होने से अब तक पूरी की गई सांविधिक कार्यवाही निष्फल हो जाएगी तथा भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करनी पड़ेगी, जबकि अवधि के विस्तार से प्रभावित परिवारों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी सुरक्षा उपाय को सीमित किए बिना शेष अनिवार्य कार्यवाहियाँ पूरी की जा सकेंगी ;

अतः, अब, गृह मंत्रालय के दिनांक 23.06.2017 की अधिसूचना सं. 1997(E) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्द्वारा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध मंर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत घोषणा किए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट बारह माह की अवधि को और बारह माह के लिए, अर्थात् 6 नवंबर, 2026 से 5 नवंबर, 2027 तक (दोनों तिथियों सहित), बढ़ाते हैं।

1. उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) के तृतीय परंतुक के अनुपालन में फाइल सं. 34-725/2021-राजस्व में लिखित रूप में अभिलिखित इस निर्णय को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और निकोबार जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना की कोई भी बात, उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि के विस्तार, विवरण, सीमाओं अथवा सार्वजनिक प्रयोजन या उसमें उल्लिखित किसी अन्य विशिष्ट विवरण में परिवर्तन करने वाला नहीं माना जाएगा।
3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह./-
सहायक सचिव (राजस्व)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

Sri Vijaya Puram, dated 2nd November, 2026.

No. 280/2026/F.No.34-725/2026-Rev.— WHEREAS, a preliminary notification under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as "the said Act") was issued vide Notification No. 88/2025/F. No. 34-725/2021-Rev. dated the 6th November, 2025, published in the Andaman and Nicobar Gazette, Extraordinary, No. 93 dated the 6th November, 2025, for the acquisition of 834.6437 hectares of land in Gandhi Nagar and Shastri Nagar villages, Campbell Bay Tehsil, Nicobar District, for the public purpose of the Greenfield International Airport Project, Great Nicobar Island (hereinafter referred to as "the said preliminary notification");

AND, WHEREAS, Sub-section (7) of Section 19 of the said Act provides that where no declaration under Sub-section (1) of that Section is made within twelve months from the date of the preliminary notification, such notification shall be deemed to have been rescinded, and in respect of the said preliminary notification the said period of twelve months expires on the 5th November, 2026;

AND, WHEREAS, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement has submitted his report under Sub-section (6) of Section 16 of the said Act on the 25th June, 2026, but the following steps, which are required before a declaration under Sub-section (1) of Section 19 can be published, are yet to be completed :

a. Review of the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Project-level Rehabilitation and Resettlement Committee under Sub-section (1) of Section 17;
b Approval of the Scheme by the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement under Sub-section (2) of Section 17;
c. Publication of the approved Scheme under Section 18; and
d. Deposit of the prescribed amount by the Requiring Body under Sub-section (2) of Section 19;

AND WHEREAS, the Appropriate Government is of the opinion that circumstances exist justifying the extension of the said period, namely :

i. the acquisition relates to a strategically significant public infrastructure project, and the public purpose stated in the said preliminary notification continues to subsist;
ii. the statutory Rehabilitation and Resettlement process is substantially advanced, but the mandatory review, approval and publication steps under Sections 17 and 18 are required to be completed before a legally sustainable declaration under Sub-section (1) of Section 19 can be made;
iii. the costs and implementation requirements of the Rehabilitation and Resettlement Scheme, including housing and the infrastructural amenities under the Third Schedule, require finalisation, to be followed by the deposit by the Requiring Body under Sub-section (2) of Section 19; and
iv. a lapse of the said preliminary notification would render the statutory work already completed infructuous and require the acquisition process to be commenced afresh, whereas an extension would enable the remaining mandatory steps to be completed without curtailing any safeguard available to the affected families under the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Sub-section (7) of Section 19 of the said Act, read with the Ministry of Home Affairs Notification No. 1997(E) dated 23.06.2017 the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, is pleased to extend the period of twelve months specified in Sub-section (7) of Section 19 of the said Act, for the making of the declaration under Sub-section (1) of Section 19 in respect of the said preliminary notification, by a further period of twelve months, that is, from the 6th November, 2026 upto and including the 5th November, 2027.

1. In compliance with the third proviso to Sub-section (7) of Section 19 of the said Act, this decision has been recorded in writing in File No. 34-725/2021-Rev., is hereby notified, and shall be uploaded on the website of the Andaman and Nicobar Administration and of the District Administration, Nicobar.
2. Nothing in this notification shall be deemed to alter the extent, description, boundaries or public purpose of the land, or any other particular, stated in the said preliminary notification.
3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in name of the Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

Sd./-
Assistant Secretary (Revenue)
Andaman and Nicobar Administration.

MGPSVP— 282/Gazette/2026 — 20 Copies. (P/DTP-3)